

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17285 /2019 राजेन्द्र कुमार दुबे बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 21.01.2020 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार दुबे की याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए खारिज कर दिये जाने एवं विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक: 24.08.2019 के याचिकार्थी के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, प्रधानाचार्य, शहीद एस. आर. कुमावत व के.एल. ताम्बी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलसाना जिला सीकर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि लुनाखुर्द, पोकरण जिला जैसलमेर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, प्रधानाचार्य (शहीद एस. आर. कुमावत व के.एल. ताम्बी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलसाना जिला सीकर से एपीओ, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, सीकर) को शहीद एस. आर. कुमावत व के.एल. ताम्बी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलसाना जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।


(हिमांशु गुप्ता) 21/01
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/राजेन्द्र दुबे/17285/2019 दिनांक: 29.01.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)